

प्रति

श्रीमान

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार मुझे एक इंक्रीमेंट स्वीकृत कर पेंशन पुनरीक्षित करने तथा पुनरीक्षित पेंशन सहित सेवानिवृत्ति देयताओं की बकाया अंतर राशि का भुगतान करने हेतु।

\*\*\*\*\*

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ द्वारा मेरी ओर से दायर रिट याचिका क्रमांक- WP वर्ष में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक (सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी संलग्न है) के अनुपालन में कृपया मुझे एक इंक्रीमेंट स्वीकृत कर मेरी पेंशन पुनरीक्षित करने तथा पुनरीक्षित पेंशन सहित ,सेवानिवृत्ति देयताओं (retiral dues) की बकाया अंतर राशि का अविलंब भुगतान करने का कष्ट करेंगे।धन्यवाद,

संलग्न:- सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी

( आवेदक के हस्ताक्षर )

प्रतिलिपि :

1. मुख्य अभियन्ता सागर रीजन मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वि. वि. कंपनी सागर
2. अधीक्षण यंत्री सागर वृत्त मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वि. वि. क. सागर

नाम:-

पिता/पति का नाम:-

सेवानिवृत्ति के समय पद:-

किस कार्यालय में पदस्थ थे:-

कोर्ट आदेश की सूची में सरल क्रमांक:-

वर्तमान पता:-

मोबाईल/व्हाट्स एप नंबर:-